कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांकः 069 /न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2021 दिनॅाकः 15–03–2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड–19 के थेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020–सी0एक्स–3 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग–3 उ0प्र0शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020–सी0एक्स–3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेगें।

(1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेंनमेंट जोन होगा।

(2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेंनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।

(3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेंनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग–3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स–3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेंनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियॉ अनिवार्यतः की जाए–

(a) केवल अति आवश्यक गतिविधयॉं ही अनुमन्य की जाए।

(b) कन्टेंनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।

(c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।

(d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड–19 की टेंस्टिग की जाए।

(e) कोविड–19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकंन, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहियें (यथा सम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।

(f) कोविड–19 मरीजो को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोंलेशन की शर्ते पूर्ण करते है तो होम आइसोंलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।

(g) आवश्कतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।

(h) आई0एल0आई/एस0ए0आर0आई0 के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाऐ उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।

(I) कोविड–19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–एल.आई.यू. /सी–34/2021 दिनांक 15–03–2021 में अवगत कराया गया है कि ''प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।''

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 03 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये है, जिनमें–01 शहरी क्षेत्र में–म0नं0–10, कचहरी रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ग्रामीण क्षेत्र में–02 हॉट स्पॉट–ग्राम मूड़ाखेड़ा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 15–03–2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या–6275 है, 38 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 94 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेगें तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक- 15.3. 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर